न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 72/2018
प्रविष्टि दिनांक 15–11–2018

धी[illegible] पुत्र मांगीलाल कीर निवासी मण्डावर तह0 टोंक जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 05.09.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 27.12.2018**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3591/191 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का ने किस तारीख को तैयार की, उक्त तारीख का अंकन भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नहीं है। पटवारी हल्का ने कोई निष्पक्ष रिपोर्ट भी तैयार नहीं की है। पटवारी हल्का ने कब व किस के सामने रिपोर्ट तैयार की इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ओर न ही अपीलान्ट की प्रोपर तामील करवाई है। निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ की है। अपीलांट को जो नोटिस तामिल हुआ है वह अपूर्ण है और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 518 निर्णय दिनांक 9–1–2018 से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3591/191 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक पर मिर्च व बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 518 निर्णय दिनांक 9–1–2018 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। विवादित भूमि चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक